(ग) यद्यपि खतावत की मात्रा का लक्ष्य प्राप्त लिया गया है तथापि मिश्रित खतावत में परिवर्तन के कारण आमदनी लक्ष्य से कम हुई और अधिक लाभ कमाने वाले वस्तुओं की बुलाई करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

Navodaya Vidyalayas in Punjab

3088. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the names of districts of Punjab where Government propose to open Navodaya Vidyalayas and Central Schools;

(b) whether Government have formulated any scheme for such proposals in the country; and

(c) if so, the details thereof and the action being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (c) Kendriya Vidyalayas are not opened District-wise; they are sanctioned on the basis of proposals received from the sponsoring authorities fulfilling the norms prescribed for the purpose. 37 Kendriya Vidyalayas have been opened in Punjab so far.

Navodaya Vidyalayas scheme envisages opening of One Navodaya Vidyalaya in each District of the Country depending upon suitability of proposals from the State Governments including offer of land free of cost, rent free temporary accommodation and other infrastructural facilities as per Navodaya Vidyalaya Samiti norms. Navodaya Vidyalayas have been opened in 11 District of Punjab.

Organisation of Fifth World Women Conference

3089. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will she Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to organise the Fifth World Women Conference in India;

(b) if so, the details thereof and the preparation made in regard thereto;

(c) whether the new national policy on women would be finalized by then; and

(d) if so, the steps taken in regard thereto?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Sustainable prawn farming

3090. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are embarking on a programme for sustainable prawn farming in the country;

(b) if so, which is the monitoring body in-charge of this programme;

(c) whether experts have visited any prawn farms in Andhra Pradesh; and

(d) if so, what assistance has been given to the prawn farmers in Andhra Pradesh in 1995-96 and current year?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) To develop prawn/shrimp farming as a sustainable, eco-friendly and socially acceptable activity in the country, the Government of India have issued Guidelines to all the Coastal States and Union Territories. The State Departments of Fisheries and other agencies of the State Governments such as the State Pollution Control Boards are monitoring the implementation of different aspects of the guidelines.

(c) During 1995-96, a team of Scientists from the Central Institute of Brackish-Water. Aquaculture (CIBA),

Madras visited 10 farms in the districts of East Godavari, West Godavari and Krishna from 10.7.95 to 14.7.95. Subsequently, the Director, CIBA, Madras alongwith two senior scientists visited 3 Brackish water shrimp farms near Ongole and Machilipatnam in Krishna district from 21.11.95 to *V*- 11.95.

(C) Central assistance of Rs. 81.28 lakh has been given to the shrimp farmers in Andhra Pradesh during 1995-96 and in the current year, so far, Rs. 12.00 lakh have been released to the State Government under the Centrally Sponsored Scheme "Integrated Brackishwater Fish Farm Development". In addition, technical advice and extension support has been given to the prawn farmers.

समुद्री संपदा का अन्वेषण

3091. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की समुद्री संपदा का पूर्णतया दोहन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समुद्री संपदा की कुल क्षमता के दोहन हेतु कोई योजना कार्यान्वयन के अधीन है;

(घ) गुजरात में दोह की गयी समुद्री संपदा के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) भारत की दोहन योग्य कुल समुद्री मात्स्यिकी सम्पदा प्रति वर्ष 39 लाख टन होने का अनुमान है। देश में समुद्री क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन वर्ष 1992-93 में 25.76 लाख टन से बढ़कर वर्ष 1995-96 में 27.07 लाख टन हो गया है, और इस प्रकार क्षमता के पर्याप्त भाग का दोहन किया जा रहा है।

(ग) समुद्री संसाधनों की कुल क्षमता का दोहन करने के लिए निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:—

(i) (1) पारम्परिक नौकाओं के मोटरीकरण, (2) मध्यवर्ती जलयान की शुरूआत और (3) प्लाईवुड की नौकाओं को शुरू करने जैसे घटकों सहित तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास।

(ii) 20 मी॰ लम्बाई से कम यन्त्रीकृत मत्स्य जलयानों के लिए आपूर्ति किए गए हाई स्पीड डीजल तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(iii) समुद्री मातिसयकी विनियमन अधिनियम का परवतर्तन और कृत्रिम शैल-भित्तियों और समुद्री फार्म परियोजना की शुरूआत।

(iv) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण का विकास।

(v) बड़े बन्दरगाहों में मत्स्य पत्तन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना और छोटे मत्स्य पत्तनों तथा मत्स्य अवतरण केन्द्रों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

उपरोक्त के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय भी देश में समुद्री मात्स्यिकी क्षमता का दोहन करने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करते रहे हैं; जैसे:

(i) गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण और प्रसंस्करण के लिए सहायता अनुदान।

(ii) गहरे समुद्र वाले मत्स्य ग्रहण जलयानों की प्राप्ति के लिए ब्याज सब्सिडी देने के लिए गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण हेतु सहायता अनुदान।

(iii) विविधिकृत मत्स्य ग्रहण हेतु सहायता-अनुदान।

(iv) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण।

(v) निर्यात उत्प्रेदन — आभग्रहण मात्स्यिकी।

(vi) निर्यात उत्पादन — संवर्द्धन मात्स्यिकी।

(vii) नई प्रौद्योगिकी का प्रवेश और आधुनिकी-करण।

(घ) और (ङ) गुजरात की समुद्री मात्स्यिकी सम्पदा 7.73 लाख टन अनुमानित की गई है और इसके दोहन का वर्तमान स्तर लगभग 6.59 लाख टन है।